संख्या–306 /26–ब0प्र0–2012–10(7)/2012

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 01 ~~जुलाई~~ अगस्त 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–111/ज0जा0वि/2011–13, दिनांक 16.07.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2011–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान सं0–81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्राथियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिए जिला योजना हेतु जनपदवार वर्ष 2012–13 के लिए नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय के अनुरूप ही जनपदवार आवंटन किया जायेगा और इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–1515/दस–2011–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) संबंधित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपलब्धतता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगें किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(4) यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2012–13 में शासन से अनुमोदित धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित हो।

(5) विगत वर्ष 2011–12 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की गयी धनराशि सापेक्ष व्यय की गयी का धनराशि का विवरण सहित उपभोग प्रमाण पत्र अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को भेजते समय उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2

वर्मा जी0ओ0

(6) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

2— उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2012—13 के आय व्ययक में अनुदान सं0—81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण—02—अनुसूचित जनजातियों का कल्याण— आयोजनागत—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—18—अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान —20—सहायता अनुदान— सामान्य(गैर वेतन)— के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या— बी—1—1515/दस—2011—231/2012, दिनांक 09 जुलाई 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या— 306 (1)/26—ब0प्र0—2012 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।
4—कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5—वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग—1/2
6—राज्य योजना आयोग अनुभाग—1/2
7—सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8—निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(धर्म राज सिंह)
अनुसचिव

वर्मा जी0ओ0